एमएसएमई इनोवेटवि स्कीम

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई आइडया हैकथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटवि स्कीम (इनक्यूबेशन, डज़िाइन और IPR) लॉन्च की है।

प्रमुख बदिु

- **परचिय:**
  - यह एमएसएमई के लयि इनक्यूबेशन, डज़िाइन और बौद्धकि संपदा अधकिार (आईपीआर) के आसपास मौजूदा उप-योजनाओं का संयोजन है।
    - सरकार ने तीनों उप-योजनाओं में वचिारों, डज़िाइनों और पेटेंट के व्यावसायीकरण के लयि 1 करोड़ रुपए तक की इक्वटिी सहायता की भी घोषणा की और एमएसएमई को बाद में धन जुटाने में मदद करने का आश्वासन दयि।
    - इसके लयि फंड मैनेजर के रूप में **सडिबी** (स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडया) द्वारा एक अलग कोष बनाकर प्रबंधति कयिा जाएगा।
    - भारतीय संसद के एक अधनियिम के तहत 2 अप्रैल, 1990 को स्थापति **सडिबी**, एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन, वत्तिपोषण और वकिास के साथ-साथ समान गतविधियिों में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लयि प्रमुख वत्तिीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।
  - नई योजना एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लयि मार्गदर्शन, वत्तिीय सहायता, तकनीकी सहायता और अन्य माध्यम से समर्थन सुनश्चिति करेगी।
  - इस इनोवेशन से जुड़ी गतविधियिों के लयि यह एक हब के रूप में कार्य करेगा, यह ऐसे बज़िनेस आइडया के वकिास में मार्गदर्शन भी करेगा जो समाज को सीधे तौर पर लाभान्वति कर सके तथा जनि्हें सफलतापूर्वक पूरा कयिा जा सके।
- **घटक:**
  - **ऊष्मायन:** योजना का प्राथमकि उद्देश्य **अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा** देना और उसकी मदद करना है। साथ ही **प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट स्तर** पर अपने आइडया की वैलडिशन के लयि एमएसएमई में नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा देना है।
    - इस योजना के हस्सि के रूप में सरकार ने मेज़बान संस्थानों के माध्यम से एमएसएमई, नवप्रवर्तनकर्त्ताओं और छात्रों से वचिारों को आमंत्रति करने के लयि एक **एमएसएमई आइडया हैकथॉन** शुरू करने की घोषणा की है।
    - प्रतआिइडया 15 लाख रुपए तक की वत्तिीय सहायता और संबंधति संयंत्र तथा मशीनों के लयि एक करोड़ रुपए प्रदान कयि जाएंगे।
  - **डजिाइन:** इस कंपोनेंट का उद्देश्य भारतीय मैन्युफेक्चरगि क्षेत्र और डज़िाइन वशिषज्ञता/डज़िाइन को एक साझा मंच पर लाना है।
    - इसका उद्देश्य नए उत्पाद वकिास, इसके नरिंतर सुधार और मौजूदा एवं नए उत्पादों में मूल्यवर्द्धन के लयि डज़िाइन समस्याओं पर रयिल टाइम वशिषज्ञ सलाह तथा लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना है।
  - **आईपीआर (बौद्धकि संपदा अधकिार):** इस योजना का उद्देश्य MSMEs के बीच बौद्धकि संपदा अधकिारों (Intellectual Property Rights-IPR) के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था में रचनात्मक बौद्धकि प्रयास को प्रोत्साहति करने हेतु भारत में आईपी संस्कृतमिें सुधार करना है।
    - इसका उद्देश्य MSMEs द्वारा उनके व्यावसायीकरण और आईपी सुवधि केंद्र के माध्यम से आईपीआर उपकरणों के प्रभावी उपयोग के लयि वकिसति वचिारों, तकनीकी इनोवेशन और ज्ञान-संचालति व्यापार रणनीतयिों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त उपाय करना है।
    - इसमें वदिशी पेटेंट के लयि 5 लाख रुपए, घरेलू पेटेंट पर 1 लाख रुपए, जीआई पंजीकरण हेतु 2 लाख रुपए, डज़िाइन पंजीकरण के लयि 15,000 रुपए, प्रतपूिर्ति के रूप में ट्रेडमार्क हेतु 10,000 रुपए तक की वत्तिीय सहायता का प्रावधान है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/msme-innovative-scheme